



# उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग

## हरिद्वार – 249404

संख्या: 154 / 01 / डी०आर०(डिग्री) / सेवा-२ / २०२१-२२

दिनांक: 07 जून, 2024

### विज्ञप्ति

#### ए०पी०आई० मेरिट के आधार पर श्रेणीवार/उपश्रेणीवार संशोधित कट ऑफ सूची

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि असिस्टेंट प्रोफेसर (राजकीय महाविद्यालय) चयन-2021 के अन्तर्गत असिस्टेंट प्रोफेसर, संस्कृत (SANSKRIT) विषय के लिए दिनांक 13 अप्रैल, 2022 को घोषित शार्टलिस्टिंग परिणाम में सफल अभ्यर्थियों से दिनांक 04 मई, 2022 तक प्राप्त अभिलेखों की सन्निरीक्षा के क्रम में अनहूं सूची, अभ्यर्थन निरस्त सूची एवं अधिमानी अहंता विषयक सूचना से संबंधित सूची को आयोग की वेबसाइट पर दिनांक 08 दिसम्बर, 2023 को प्रसारित की गयी थी तथा अनहूं सूची एवं अधिमानी अहंता सूची के संबंध में अभ्यर्थियों को दिनांक 22 दिसम्बर, 2023 तक साक्ष्यों सहित प्रत्यावेदन आयोग कार्यालय में प्रस्तुत करने का अंतिम अवसर प्रदान किया गया, जिसके क्रम में मात्र आयोग द्वारा प्रत्यावेदनों का निस्तारण कर दिया गया है। उक्त के क्रम में अहंता अभ्यर्थियों की संख्या निर्धारित पद के सापेक्ष 2 गुने से कम होने के कारण मात्र आयोग के निर्णय दिनांक 17 जून, 2022 के क्रम में उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग परीक्षा परिणाम निर्माण प्रक्रिया नियमावली-2012 के चतुर्थ संशोधन-2016 के नियम-05 में उल्लिखित प्राविधान के क्रम में असिस्टेंट प्रोफेसर, संस्कृत (SANSKRIT) विषय में अहंता अभ्यर्थियों की संख्या निर्धारित पद के सापेक्ष 2 गुने से कम होने पर केवल एक बार के लिए मेरिट के आधार पर श्रेणीवार/उपश्रेणीवार अंतिरिक्त अभ्यर्थियों को संशोधित कटऑफ के आधार पर औपबन्धिक रूप से निम्न अनुक्रमांक के अनुसार शार्टलिस्ट किया जाता है:-

क्र०सं०	श्रेणी	संशोधित कट ऑफ	अनुक्रमांक
01	02	03	04
1.	UR	93.00	504490, 503481, 503951, 503765, 503913, 503570, 503949, 503764, 503568, 503730, 504199, 503333, 504535, 504545, *504020, *504307, *504311
2.	UR/UF	80	504039, 504362
3.	ST	50.00	*503697

\*नोट:- UR में शार्टलिस्ट अभ्यर्थी अनुक्रमांक 504020, 504307 एवं 504311, ST में शार्टलिस्ट अभ्यर्थी अनुक्रमांक 503697 द्वारा संशोधित कट ऑफ में स्थान धारित करने के कारण मात्र आयोग द्वारा अहंता घोषित किया गया है। उक्त अभ्यर्थियों द्वारा पूर्व में अभिलेख आयोग को उपलब्ध कराये जा चुके हैं, अतः उक्त अभ्यर्थियां को पुनः अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये जाने हैं।

2. उपरोक्त के अंतिरिक्त अन्य शार्टलिस्ट अभ्यर्थियों को साक्ष्यों सहित ऑनलाईन आवेदन में किये गये समस्त दावों हेतु आयोग कार्यालय में अभिलेख प्रस्तुत करने के लिए नियमानुसार 15 दिन, दिनांक 24 जून, 2024 (सोमवार) सांय 06:00 बजे तक अंतिम अवसर प्रदान किया गया है, तदपश्चात् अभ्यर्थियों के किसी भी प्रत्यावेदन/प्रमाण-पत्र पर विचार नहीं किया जायेगा। यह भी सूचित किया जाता है कि अभ्यर्थियों को इस संबंध में डाक के माध्यम से पृथक से सूचना प्रदान नहीं की जायेगी।

-SD-

(गिरधारी सिंह रावत)  
सचिव।